महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी परिषद मध्यप्रदेश
जिला पंचायत जबलपुर

<u>राज्य शासन ने रोजगार देने की ली गारंटी गॉव में 100 दिनों का रोजगार कानूनी अधिकारी</u>

उदेश्य :–

- ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के वयस्क व्यक्तियों को, जो अकुशल मानव श्रम करने हेतु तैयार है, एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुनिश्चित करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पतियों का सृजन ।

पात्रता :–

- काम के इच्छुक परिवार ग्राम पंचायत में अपने वयस्क सदस्यों के नाम, उम्र, लिंग और पता देकर पंजीकरण करवा सकते है। पंजीकरण 5 वर्ष तक वैद्य पंजीकृत परिवार को रोजगार प्राप्त करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जॉब कार्ड।
- पंजीकृत परिवारों को ग्राम पंचायत द्वारा जॉब कार्ड जारी किया जायेगा, जिसमें संबंधितों का पूर्ण विवरण होगा। रोजगार पत्र जारी होने के दिनांक से 5 वर्ष के लिये वैद्य एवं प्रत्येक 5 वर्ष समाप्ति के बाद एक माह के अंदर ग्राम पंचायत द्वारा नवीनीकृत ।
- जॉब कार्ड प्राप्त न होने पर अथवा प्रविष्टि पर आपत्ति होने पर सरपंच ग्राम पंचायत को आपत्ति प्रस्तुत कर निराकरण की व्यवस्था ।
- सरपंच के निर्णय से संतुष्टि न होने पर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अपील का प्रावधान ।

कार्य के लिये आवेदन :–

- रोजगार पाने के लिए पंजीकृत परिवार के प्रत्येक व्यस्क सदस्य को अधिकार है कि वह ग्राम पंचायत का कार्यक्रम अधिकारी (जनपद पंचायत स्तर पर) को लिखित आवेदन दें और दिनांक युक्त पावती प्राप्त करे।

- आवेदन लगातार कम से कम 14 दिनों के कार्यो के लिये किया जाना चाहिये। साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान निहित ।

महिलाओं एवं निःशक्तजनों को प्राथमिकता :–

- ऐसी महिलायें जो कि परिवार के अंतर्गत पंजीकृत है तथा रोजगार हेतु आवेदन करती है उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता । पंजीकृत एवं कार्य हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों में से कम से कम 1 तिहाई महिलायें लाभांन्वित करने का प्रावधान ।
- यदि ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत अपंग व्यक्ति आवेदन करता है तो उसे उसकी योग्यता एवं क्षमता अनुसार कार्य दिया गया जायेगा।

समयबद्ध रोजगार आवंटन :–

- रोजगार की उपलब्धता – प्रथम आओ प्रथम पाओ– के सिद्धांत पर
- आवेदन करने अथवा रोजगार की मांग करने के 15 दिनों के अंदर ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार दिया जायेगा।
- ग्राम पंचायत पत्र के माध्यम से आवेदकों को 15 दिन के अंदर यह सूचित करेगी कि कब और कहां कार्य के लिये उपस्थित होना है।
- रोजगार निवास स्थान के 5 किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध कराने का प्रावधान ।

बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान :–

- यदि पात्र आवेदक को कार्य की मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार नही मिलता है तो उसे निर्धारित शर्त के अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। यदि वह व्यक्ति आवंटित कार्य के लिये उपस्थित नही होता है तो बेरोजगारी भत्ते का आगे हकदार नही होगा।
- बेरोजगारी भत्ते की राशि प्रथम तीस दिवस के लिये न्यूनतम मजदूरी की एक चौथाई के बराबर होगी तथा शेष अवधि के लिये आधी होगी।

- बेरोजगारी भत्ते की कुल रशि का योग वित्तीय वर्ष में किसी परिवार को न्यूनतम मजदूरी दर पर प्रदाय की गई मजदूरी की कुल राशि एवं बेरोजगारी भत्ता से के रूप में प्रदाय की गई कुल राशि का योग 100 दिवस की न्यूनतम मजदूरी के योग से ज्यादा नही होगा।

न्यूनतम मजदूरी की गारंटी :–

- राज्य शासन द्वारा निर्धारित अथवा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिये अधिसूचित मजदूरी पाने का हकदार ।
- वर्तमान में यह मजदूरी राशि रू 69.00 प्रति श्रमिक प्रति दिवस के मान से मजदूरी भुगतान समय जॉब कार्ड होना अत्यंत आवश्यक ।
- मजदूरी का भुगतान यथा सम्भव प्रति सप्ताह एवं अधिकतम 15 दिवस की समय सीमा में।
- महिला एवं पुरूष को मजदूरी भुगतान में समानता ।
- यदि आवेदन को निवास स्थान से 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर रोजगार दिया जाता है तो उसे न्यूनतम मजदूरी सहित 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी दी जायेगी।

कार्यस्थल पर देय सुविधायें एवं क्षतिपूर्ति :–

- आकस्मिक स्वास्थ्य सुविधा, पेयजल व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, 6 वर्ष से कम आयु के 5 अधिक बच्चों पर झूलाघर की व्यवस्था प्रदान की जायेगी।
- किसी कार्यस्थल पर 6 वर्ष से कम उम्र के 5 से अधिक बच्चे हों तो पृथक से 1 महिला को बच्चों की देखरेख हेतु नियुक्त किया जा सकेगा।
- यदि किसी व्यक्ति को कार्यस्थल पर कार्य करते हुये चोट लगती है तो वह योजना के प्रावधानों के अनुसार निःशुल्क इलाज हेतु पात्र होगा।

- यदि दुर्घटना से कार्यरत व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करने की स्थिति आती है तो राज्य शासन का यह दायित्व हेागा कि वह उपयुक्त व्यवस्था जैसे दवा चिकित्सक की व्यवस्था करेगा एवं दैनिक भत्ते के रूप में राशि प्रदान करेगा जो कि न्यूनतम प्रचलित दर के आधे से कम नही होगी।
- यदि कार्यरत व्यक्ति चोट इत्यादि से पीडित होता है तो उसे योजनांतर्गत एवं पात्रतानुसार निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी।
- कार्यरत व्यक्ति की मृत्यु अथवा अपंगता की स्थिति में अधिकतम रू 25000/– तक क्षतिपूर्ति के भुगतान का प्रावधान।
- व्यक्ति की मृत्यु होने पर उक्त राशि वैधानिक उत्तराधिकारियों को देय होगी तथा स्थायी/अस्थायी अपंगता की स्थिति में व्यक्ति को स्वयं देय होगी।

स्थायी परिसम्पतियों का सृजन :–

योजनांतर्गत निम्नलिखित कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा :–

- जल संवर्धन एवं संरक्षण
- सूखे की रोकथाम (वनीकरण एवं पौधारोपण सहित)
- सिंचाई, नहर (माइक्रो एवं लघु सिंचाई कार्यो सहित)
- इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभांवित हितग्राहियों की अथवा भूमि सुधार के हितग्राही अथवा अजा/अजजा अथवा गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों द्वारा धारित भूमि पर सिचाई सुविधा उपलब्ध कराना।
- परंपरागत जलस्त्रोत संरचनाओं का पुनरूद्धार (तालाबों से गाद निकालने सहित)
- भूमि विकास के कार्य
- बाढ नियंत्रण एवं जल निकासी संबंधी कार्य
- बारहमासी ग्रामीण पहुंच मार्ग
- केन्द्र शासन द्वारा राज्य शासन के परामर्श से अधिसूचित अन्य कोई कार्य।

कार्यो का क्रियान्वयन :–

- लागत के आधार पर कम से कम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायत द्वारा तथा शेष राशि के कार्य शासकीय विभागों द्वारा क्रियान्वित किये जायेगे।
- कार्यक्रम में ठेकेदारी प्रथा प्रतिबंधित रहेगी तथा मानव श्रम के स्थान पर कार्य करने वाली मशीनों की पूर्ण रूपेण मनाही रहेगी।
- पंचायती राज्य संस्थायें योजना के निगरानी एवं अनुश्रवण के लिये प्रमुख संस्थायें
- ग्राम स्तरीय सतर्कता एवं मूल्यांकन समितियों द्वारा कार्यो पर निगरानी की व्यवस्था
- सामाजिक अंकेक्षण, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं गुणवत्ता नियंत्रण के प्रावधान लागू।
- सूचना का अधिकारी लागू

योजना का संचालन :–

- योजना के संचालन हेतु जिला कलेक्टर ''जिला कार्यक्रम समन्वयक'' मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ''अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक''
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पचांयत '' कार्यक्रम अधिकारी'' तथा विकासखंड अधिकारी/विस्तार अधिकारी ''अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी''

योजना का क्रियान्वयन हेतु एजेंसी :–

- प्रदेश सरकार के शासकीय विभाग, पंचायती राज्य संस्थाएं, स्व सहायता समूह, अशासकीय संगठन, केन्द्र एवं राज्य शासन के उपक्रम ।

अधिक जानकारी के लिये संपर्क करे – कार्यालय सरपंच ग्राम पंचायत, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदेन अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदेन कार्यक्रम अधिकारी, जिले की सभी जिला, जनपद पंचायत जबलपुर ।

विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करे :–
जिला पंचायत जबलपुर (मध्यप्रदेश)
दूरभाष : 0761–2624860

योजना क्या है ?

- इस योजना के अंतर्गत अकुशल मजदूरों को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गयी है।
- यह योजना 100 दिवस के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी का एक परिवार के लिये है न कि किसी परिवार के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति के लिये।
- वयस्क व्यक्ति से मजलब 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके से है।

योजना के लाभार्थी कौन है ?

- ग्राम पंचायत अपने परिवार का रजिस्ट्रेशन इस योजना में कराइये तथा निःशुल्क जॉबकार्ड पाइये।

- जॉबकार्ड की समय–समय पर नवीनीकरण्र की व्यवस्था भी की जा सकती है।
- जिस परिवार का ग्राम पंचायत मैं पंजीयन हो गया हो वे इस योजना का लाभ ले सकते है।
- वह जितने दिनों की जरूरत समझे उतने दिनों के लिये रोजगार की मांग कर सकता है।

रोजगार कैसे मिलेगा ?

- यह मांग आधारित योजना है। किसी भी जॉबकार्डधारी वयस्क व्यक्ति द्वारा रोजगार की मांग किये जाने पर उसे रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
- परिवार का कोई भी सदस्य परिवार की 100 दिन की मजदूरी की पात्रता के अनुसार रोजगार के लिये ग्राम पचांयत/जनपद पंचायत में आवेदन दे सकता है।
- आवेदन कम से कम 14 दिन के निरंतर कार्य के लिये किया जाना चाहिए।
- आवेदन देने की तारीख के 15 दिन के भीतर अथवा उस तारीख से जब से भी रोजगार मांगा गया है। इसमें जो भी तिथि गिनती में बाद में पडे आवेदन को रोजगार दिया जायेगा।
- सामान्यतः आवेदक को उसके स्थानीय निवास की 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार दिया जायेगां, यदि रोजगार 5 किलोमीटर की सीमा के बाहर दिया जाता है तो उसे न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत आने जाने एवं अन्य व्यवस्था के लिये दिया जायेगा।

मजदूरी की दर एवं भुगतान

- मजदूरी श्रमायुक्त द्वारा कृषि श्रमिकों के लिये निर्धारित दर से अथवा केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के लिये निर्धारित दर से दिया जायेगी।
- मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में यह 15 दिन से ज्यादा देरी से नही होगा।
- मजदूरी नगद के रूप में दी जायेगी।

योजना के अंतर्गत कौन से कार्य लिये जा सकते है?

- जल संरक्षण एवं सवंर्धन
- सूखा रोकने, वन, वृक्षारोपण
- सिंचाई हेतु नहरें, लघु एवं मध्यम सिंचाई कार्य
- तालाबों की गंदगी निकालना
- भूमि का विकास
- बाढ नियंत्रण/सुरक्षा, जल जमाब क्षेत्रों में जल निकासी
- 12 मासी सडकों के रू॰ में ग्रामीण सडक सम्पर्क

शिकायत का निराकरण कैसे होगा ?

- शिकायतें कार्यक्रम अधिकारी के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास की जा सकती है, या जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में कलेक्टर के पास की जा सकती है।

विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करे :–
जिला पंचायत जबलपुर (मध्यप्रदेश)

दूरभाष : 0761–2624860

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

जबलपुर जिला प्रदेश के पूर्वी संभाग जबलपुर का संभागीय मुख्यालय का जिला है। जिले को प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से 4 तहसीले एवं 7 विकास खण्डों में 542 ग्राम पंचायतों में विभाजित किया गया है–

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को जिले में लागू हुए लगभग दो वर्ष होने को है। अल्प समय में ही यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए आर्थिक उत्थान की दृष्टि से बरदान साबित हुई है। इस योजना से न सिर्फ

ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को को रोजगार उपलब्ध हो रहा है बल्कि ग्रामीण क्षेत्र का सर्वागीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 01.04.2008 से लागू की गई है। जिले के 277496 परिवारों को योजना के अंतर्गत जॉबकार्ड जारी किये गये है। रोजगार की मांग के अधार पर ग्राम पंचायतों में तैयार किये गये शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट के कार्यो को प्रारंभ कर रोजगार दिया जा रहा है। वर्तमान में 100/– रू प्रतिदिवस मजदूरी की दर से कार्य के आधार पर बैक एवं पोस्ट आफिस के माध्यम से श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है।

वर्ष 2008–09 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 3299.14 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसमें से 2351.57 लाख रू. का व्यय किया गया है। जिसमें 1697.22 लाख रू मजदूरी पर एवं 416.74 लाख रू सामग्री पर व्यय हुआ है। जिले में योजनांतर्गत 92609 जॉबकार्ड धारी परिवारों ने रोजगार की मांग की थी और 92609 जॉबकार्डधारी परिवरों को रेाजगार उपलब्ध कराया गया है। जिले में योजनांतर्गत 2441 कार्य प्रारंभ किये गये थे जिनमें 20.88 लाख मानव दिवस सृजित किये गये थे इतना ही नही 361 परिवारों के बैक एवं पोस्ट आफिस में खाते खुलवाये गये है। जिनके माध्यम से उन्हें मजदूरी का भुगतान किया गया ।

इसी प्रकार वर्ष 2009–10 में योजनांतर्गत माह फरवरी 2010 तक 5279.62 लाख रू का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसमें से फरवरी माह 2010 तक 2893.38 लाख रू व्यय किया गया है। उक्त राशि में से 1781.38 लाख मजदूरी पर एवं 998.42 लाख रू सामग्री पर व्यय हुआ है। जिले में योजनांतर्गत 31.12.09 तक 4493 कार्य प्रारंभ किये गये थे जिनमें से 1859 कार्य पूर्ण हो चुके है शेष 2637 कार्य प्रगतिरत है। वर्ष 2009–10 में अब तक 59855 जॉबकार्डधारी परिवारों ने रोजगार की मांग की थी और 59855 जॉबकार्डधारी परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया । जिले में 19.78 लाख मानव दिवस सृजित किये गये है। इसी अवधि तक 274 जॉबकार्डधारी परिवारों ने 100 दिवस का कार्य पूर्ण कर लिया हे। जिले में बैक एवं पोस्ट आफिस में जॉबकार्डधारी परिवारों के खातों की संख्या बढकर 91830 हो गई है। जिसमें से 90703 खातें बैकों में एवं 1127 खातें पोस्ट आफिस में खोले गये है। जिले में योजना प्रारंभ से लेकर अबतक लगभग 80 शिकायतें जिला स्तर पर प्राप्त हुई है जिनमें से लगभग 45 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। शेष शिकायतों की निराकरण किया जा रहा है। जिले की 542 ग्राम पंचायतों में से 537 ग्राम पंचायतों मे सामाजिक अंकेक्षण हो चुका है। जिले में 1338 सामाजिक संपरीक्षा समितियों का गठन किया गया है। जिले की 409 ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी नरेगा की बेवसाइट nregs-mp.org and nrega.nic.in पर ऑनलाइन प्रदर्शित हो रही है।